न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 61/2023
जी.सी.एम.एस. नं.: 2023/78

1. बलवीर सिंह उर्फ वीर सिंह पुत्र तारा सिंह जाति रायसिख निवासी सुखचैनपुरा तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

—प्रार्थी

बनाम

1. प्रेम सिंह पुत्र तारा सिंह जाति रायसिख निवासी 3 के.एस.डी. श्रीविजयनगर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—

1. श्री लाजपतराय, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री नरेश पुरी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1
3. राजपैरोकार

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 19/1/2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि :—

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता स्व. श्री तारा सिंह पुत्र श्री सजवारा सिंह जाति रायसिख निवासी सुखचैनपुरा के नाम से चक 3 के.एस.डी. का मुरब्बा नं. सिंह 241/367 का 25—00 बीघा नहरी भूमि पुख्ता आवंटन थी। प्रार्थी के पिता द्वारा अपने जीवन काल में ही अपनी उक्त भूमि की व्यवस्था करते हुए एक दस्तावेज घरू बंटवारानामा दिनांक 08.09.2000 को तहरीर करवाते हुए उक्त भूमि में से चक 3 के एस.डी. का मुरब्बा नं. 241/367 का किला नं. 11, 19, 20, 22, 23 सालम—सालम कुल 5 बीघा भूमि मय रास्ता मुझ प्रार्थी को देते हुए उक्त भूमि का कब्जा भी मुझ प्रार्थी के सुपुर्द करना था। तथा उक्त 5—00 भूमि की बकाया किस्ते भी मुझ प्रार्थी के द्वारा अदा करना तय किया गया था। तथा उक्त भूमि की खातेदारी सनद जारी होने के बाद उक्त 5—00 बीघा भूमि को मुझ प्रार्थी के नाम करने की शर्त तय की गई थी। उक्त घरू बंटवारानामा के आधार पर मुझ प्रार्थी ने उक्त वर्णित किलाजात पर अपना शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त करते हुए अपने हिस्से की तमाम किस्ते खजाना राज में जमा करवा दी तथा उक्त 5—00 बीघा भूमि को अपना मानते हुए उस पर अपना अथाह धन व परिश्रम खर्च कर उसमे कई सुधार किये व सुविधाए स्थापित की। जिससे उक्त भूमि की किमतों में आशातीत वृद्धि हो गई। उक्त भूमि की खातेदारी सनद जारी होने से पूर्व ही प्रार्थी के पिता तारा सिंह का देहान्त हो गया। इसी दौरान प्रार्थी की सुचरी हुई भूमि देखकर अप्रार्थी संख्या 1 के मन में लालच व बेईमानी आ गई और उसने खातेदारी सनद जारी होने के बाद बिना प्रार्थी से चोरी छुपे पिता तारा सिंह की कोई फर्जी वसीयत तैयार करवा कर प्रार्थी के कब्जा काश्त के चक 3 के.एस.डी. का मुरब्बा नं. 241/367 का किला नं. 11, 19, 20, 22, 23 सालम—सालम कुल 5 बीघा भूमि मय पिता की भूमि का नामान्तरण अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया और उक्त भूमि में से कुछ हिस्सा आगे किसी अन्य को विक्रय भी कर दिया व विवादित भूमि को अन्य को किसी तरीके से अन्तरित करके प्रार्थी को उपरोक्त भूमि से महरूम करने के लिए आमदा है तथा उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। प्रार्थी ने अनके अवसरो पर अप्रार्थी 1 को विवादित सम्पति भूमि का दस्तावेज घरू बंटवारानामा व कब्जा काश्त अनुसार विधिक बंटवारा करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 के कार्यालय में चल कर ब्यान देने व प्रार्थी को बंटवारा में

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:45:06 IST
Reason: SelfAttested

प्राप्त किलाजात को राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम से दर्ज करवाने व कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द करने को कहा तो अप्रार्थी संख्या 1 प्रारम्भ में आवश्वासन देकर टाल मटोल करता रहा अब प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा ऐलानिया धमकी दी रही है कि वह प्रार्थी को प्रार्थी के हक व हिस्सा की भूमि से जबरन विधि विरूद्ध तरीके से बलपूर्वक बेदखल कर देगा व उपरोक्त भूमि जो रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जिसका नाजायज फायदा उठाकर उक्त विवादित भूमि को विक्रय व अन्य प्रकार से अन्तरित करवा देगें। व गुण्डा प्रवृति लोगो के साथ मिलकर प्रार्थी को जबरन भूमि से खदेड़ देगा। जिस पर आज से कुछ रोज पूर्व प्रार्थी अपने साथ गांव के मौजिज व्यक्तियों व रिश्तेदारों को साथ लेकर अप्रार्थी संख्या 1 से मिला व प्रार्थी को उक्त वादग्रस्त भूमि में उसको घरू बंटवारा में प्राप्त उपरोक्त वर्णित किलाजात की 5–00 बीघा भूमि भूमि देने व राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करवाने के लिए कहा तो अप्रार्थी संख्या 1 ने पंचायत व मौजिज व्यक्तियों के समक्ष ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया व ऐलानिया कहा कि मैं उपरोक्त भूमि को अन्य को विक्रय आदि करके तुम्हे इस भूमि से जबरन बलपूर्वक बेदखल कर दूंगा व कोई हक व हिस्सा इस भूमि में नहीं दूंगा। तुमसे जो बन पड़े कर लो। बस यही तारीख बिनाय मुखास्मत वाद कारण है। अप्रार्थी संख्या 1 अपने विधि विरूद्ध कृत्य में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थी को अपने हक व हिस्सा की भूमि से महरूम होना पडेगा एंव अपने हक व हिस्सा की भूमि में जबरन बल पूर्वक बेदखल कर दिया जाने से प्रार्थी के पास आय का एकमात्र साधन उपरोक्त कृषि भूमि ही होने व पेशा काश्तकारी होने से अन्य कोई आय का साधन नहीं होने से प्रार्थी को भूखे मरने की नौबत आ जावेगी। एवं प्रार्थी का रोजगार का साधन छिन जावेगा। एवं प्रार्थी के विधिक अधिकारों का हनन होगा व प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से विवादित भूमि को विक्रय आदि किये जाने पर प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा पक्षकारो के मध्य रंजिश बढेगी मुकदमाबाजी बढेगी खर्चा बढेगा व न्याय में देरी व बाधा होगी इसलिए प्रार्थी को ही अपर्णीय क्षति व भारी असुविधा होगी। अप्रार्थी एक शातिर व बदमाश प्रवृति का व्यक्ति है तथा जिस पर पूर्व में भी कई मुकदमे जैरकार है तथा अप्रार्थी के खिलाफ 302 आई.पी. सी. के तहत मुकदमे दर्ज है। तथा जिसके अन्दर अप्रार्थी के द्वारा करीब 8–9 वर्ष तक जेल में भी रहा हुआ है। इसलिए प्रार्थी को ऐलानियां धमकी दे रहा है कि मेरा क्या है मैं तो पहले भी अन्दर रह कर आ गया हूँ और चला जाउगा लेकिन जमीन नहीं दूंगा। अप्रार्थी के द्वारा गैर विधि विरूद्ध फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन अपने नाम करवा ली है। जिसका पता प्रार्थी को नकल निक्लवाने के बाद चला कि अप्रार्थी के द्वारा जरिये वसीयत उक्त भूमि अपने नाम से करवा कर व उसका बेचान भी किया हुआ है। उपरोक्त कारण वश प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने एंव विवादित भूमि में घरू बंटवारा में प्राप्त किलाजात का स्वयं को खातेदार टीनेन्ट घोषित करवाने व मुताबिक डिक्री राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवाने का विधिक अधिकारी है। प्रथम दृष्टया प्रकरण [illegible] पूर्णीय क्षति तीनों महत्वपूर्ण बिन्दू प्राथी के पक्ष में है। राजस्थान [illegible] वश्यक पक्षकार होने के कारण से अप्रार्थी संख्या 2 को [illegible] पक्षकार बनाया है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार [illegible] है एवं अन्दर मियाद व पूर्णतया कोर्ट फीस पर तहरीर होकर पेश है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक इस आदेश की पारित की जावे कि अप्रार्थीगण ताफैसला मूल वाद विवादित भूमि चक 3 के.एस.डी. का मुरब्बा नं. 241 / 367 का किला नं. 11, 19, 20, 22, 23 सालम–सालम कुल 5 बीघा भूमि को अन्य किसी को रहन, बैय या अन्य प्रकार से अन्तरित करने से स्वयं या अपने हित प्रतिनिधि के माध्यम से करने से, लोन आदि लेने व प्रार्थी की चल रही किसी सुविधा में व्यवधान पैदा करने से बाज एवं ममनू रहे एवं मौका तथा रिकार्ड की यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन कियां।

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:45:06 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए। जवाब अप्रार्थी सं. 1 बंद किया गया। बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी अपने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और कथन किया अप्रार्थी प्रार्थी को उसके हक व हिस्सा की भूमि पर से वंचित करने की फिराक में है जबकि भूमि प्रार्थी को उसके पिता से घरू बंटवारा नामा से प्राप्त हुई है। अप्रार्थी द्वारा कूटरचित वसीयत के आधार पर अपने नाम से दर्ज करवा ली है। अब वह प्रार्थी को भूमि से बेदखल करना चाहता है यदि वह कामयाब हो जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी प्रार्थी अधिवक्ता के कथनों को खण्डित करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी को भूमि जरिए वसीयत प्राप्त हुई जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हो चुका है। अप्रार्थी भूमि का रिकार्डेड टिनेंट है। अप्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा पारित किया जाना उचित नहीं है, यदि की जाती है तो अप्रार्थी को क्षतिकारित होगी जिसका मूल्यांकन मुद्राओं में नहीं किया जा सकेगा। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

3. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता को आवंटित थी। प्रार्थी के पिता के द्वारा अपने जीवनकाल में दस्तावेज घरू बंटवारानामा दिनांक 08.09.2000 को तहरीर करवाते हुए उक्त भूमि में से चक 3 के.एस.डी. का मुरब्बा नं. 241/367 का किला नं. 11, 19, 20, 22, 23 सालम–सालम कुल 5 बीघा भूमि मय रास्ता प्रार्थी को दी हुई थी। जो प्रार्थी के कब्जा काश्त में है। जिस पर प्रार्थी द्वारा अथाह धन लगाते हुए प्रार्थी ने काश्त योग्य एवं उपजाऊ बनाया है। अप्रार्थी ने कूटरचित वसीयत के आधार पर भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली है अब वह प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि वंचित करना चाहता है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी का अवलोकन किया जिस अनुसार भूमि अप्रार्थी के नाम से रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज है। ऐसे में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अप्रार्थी भूमि के रिकार्डेड खातेदार है, रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा पारित की जाती है तो प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति संभावित है। प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपने पक्ष में सिद्ध करने में असफल रहे है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

–: आदेश :–

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 19/1/26 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:45:06 IST
Reason: SelfAttested

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर